संख्या–18/1/2008(II) का–2/2008

प्रेषक,

जे. एस. दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2008

विषय: विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु ''अधिकतम आयु सीमा में छूट।''

महोदय,

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1980 द्वारा अक्षम व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' की सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' की सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से 10 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है।

2– उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' और समूह 'ग' तथा 'घ' की सभी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाय।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये उपर्युक्त निर्णय की जानकारी अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को कराने एवं सभी स्तरों पर इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(जे. एस. दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या : 18/1/2008–का–2/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(बी. एन. दीक्षित)
सचिव